संख्या: 33/2020/ 1127/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 18 सितम्बर, 2020

विषयः-भारत सरकार द्वारा संचालित ''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना'' के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-22/2020/772/सत्रह-म-2020, 6-9(3)/2020 दिनांक 09 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के संचालन हेतु जनपद स्तर पर योजना के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन करते हुए उसके दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2- उक्त जनपद स्तरीय समिति की जनपदवार आयोजित बैठकों के सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि अभी तक मात्र ग्यारह जनपदों यथा-अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, कासगंज, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, बागपत, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत को छोड़कर प्रदेश के शेष अन्य जनपदों में उक्त समिति की बैठकें अभी तक आयोजित नहीं हुई है। यह स्थिति संतोष जनक नहीं है। सूच्य है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका दिनांक 10 सितम्बर, 2020 को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुभारम्भ किया गया है और भारत सरकार द्वारा इस योजना की नियमित समीक्षा की जा रही है।

3- उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-31/2020/1047/-सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09-09-2020 द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाईड लाईन्स निर्गत की जा चुकी है। गाईड लाइन्स के अनुसार जिलास्तरीय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार प्राप्त संकलित परियोजना प्रस्तावों के आधार पर ही राज्य स्तर पर ''राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति'' द्वारा विचारोपरान्त प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सम्बन्धित परियोजनाओं और उपयोजनाओं को अनुमोदनार्थ राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद को अग्रसारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन हेतु की गयी सिफारिशों के अभाव में राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा की जाने वाली अग्रेतर कार्यवायी बाधित है। यह स्थिति प्रदेश में मत्स्य विकास के लिए हितकर नहीं हैं। उक्त योजना में परियोजना अंश के सापेक्ष 60 प्रतिशत अंश केन्द्रांश के रूप में सम्मिलित है और समय से प्रदेश की समेकित परियोजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

प्रस्तावों को न भेजे जाने की स्थिति में प्रदेश को केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने में कठिनाई हो सकती है।

4- अतः जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु योजना के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को अपनी अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 33/2020/ 1127/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं प्रभावी कार्यवाही/अनुश्रवण हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।